**(वाद सं0.-5043/4/11/2021)**

26.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, कैलाश प्रजापत, सेवानिवृत चतुर्थवर्गीय कर्मचारी, भारतीय दूरसंचार निगम के सेवान्त लाभ के भुगतान से संबंधित है।

उक्त पर **प्रधान महाप्रबंधक, दूरसंचार, गया** से प्रतिवेदन कीं मांग की गई। **प्रधान महाप्रबंधक, दूरसंचार, गया** की ओर से प्राप्त **सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन / योजना) कार्यालय–महाप्रबंधक, दूरसंचार, जिला– गया** द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि परिवादी को अनुमान्य सभी सेवान्त लाभों का भुगतान कर दिया गया है।

तत्पश्चात् राज्य आयोग द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसे अनुमान्य सभी सेवान्त लाभ का भुगतान किया जा चुका है। परिवादी की ओर से प्रसंगाधीन मामले को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन/योजना)कार्यालय–महाप्रबंधक, दूरसंचार, जिला– गया** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार , आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

**(उज्ज्वल कुमार दुबे)**
**सदस्य**

निबंधक